tinctive political entities in the body politic of our country necessitates the restructuring of financial and other relations between the Centre and the States and, therefore, resolves that the relevant provisions of the Constitution be amended suitably."

The Resolution was negatived.

18.55 hrs.

RESOLUTION RE: INDUSTRIAL SICKNESS

MR. DEPUTY SPEAKER: Now, the House will take up the next Resolution. Mr. E. Balanaadan may move his Resolution.

SHRI E. BALANANDAN (Mukundapuram): Sir, I beg to move:

> "This House expresses its deep concern over the increasing incidence of industrial sickness and consequent developing crisis in industry which is resulting in layoffs, lock-outs and closures affecting millions of workers and employees and resolves that the Government to take urgent and appropriate steps to remedy the situation."

Sir, this Resolution deals with an important subject and a very serious subject which needs very serious consideration. I hope while considering this Resolution we will not be divided on political lines. This Resolution deals with a subject which is haunting the nation with serious consequences for several lakhs of people. Therefore, I hope the ruling benches will support my Resolution.

Sir, while going into the details of the subject now pointed out in this Resolution year after year if we look into the statis-

tics one finds increasing incidents of industrial sicknees. In 1976 the number of sick units in the large-scale sector was 241 with locked-up bank credit to the tune of Rs 608.76 crores. Its number rose to 378 crores in 1979 and by 1980 it became 409 and the locked up bank funds to the tune of Rs. 1324.7 crores'. The number of sick units in the medium small scale units was also increasing continuously. In medium sector the number of sick units was reported to be 1758 and in small sector the number was 23,255 and the total bank credit locked up was reported to be Rs. 2067.62 crores for both the small and medium sector. This process went on and the Government of India appointed a committee and they have given some guidelines to check and arrest this process.

MR. DEPUTY SPEAKER: The Hon. Member may continue with his speech next time. Now, the House will take up legislative Business, namely, clause by clause consideration of the Dangerous Machines (Regulation) Bill.

18.51 hrs.

DANGERGUS MACHINES (REGULA-TION) BILL-Contd.

MR. DEPUTY SPEAKER: There are no amendments to Clause 2. The question is :

> "That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill."

19.00 hrs.

Clause 3—Definitions

SHRI T.R. SHAMANNA (Bangalore South): I beg to move—

520

Ind. Sickness (Res).

Page 2, lines 9 and 10-

For "fourteenth" substitute "twelfth" (2)

Page 2, line 26-

after "firm" insert ''or a company or a cooperative society" (3)

Sir, I have moved a number of amendments. I request that I may be permitted to say something in general so that I would know the fate of the amendments.

MR. DEPUTY SPEAKER: You can speak on the amendments you have oved.

SHRI T.R. SHAMANNA: Sir, I am in complete agreement as far as giving compensation to those who are using machine, suffering life or getting serious injuries. But as a person who has got complete faith in Gandhian philosophy, 1 am completely opposed to the use of machines, particularly in agricultural operation in rural areas. Sir, this Bill is being passed in a hurry. In the first instance, the Prime Minister is very anxious to see that more and more employment is created in the rural areas so that rural unemployment is solved to a great extent. But on the other hand, it is well known that by use of machinery, unemployment is caused on a large scale. Therefore, I do not understand why the use of machinery in the agricultural sector, particularly in the harvest season when we have got a lot of rural manpower, is advocated. We could get this work done by using our rural manpower instead of machines.

THE MINISTER OF AGRICULTURE (RAO BIRENDRA SINGH): They are not acceptable to the Government. We have carefully gone into the question. The age of 14 has been considered as a safe age for children to work on these machines. Therefore, I am sorry I cannot accept the amendment of the Hon. Member. His amendment No. 3 is also not necessary at all.

MR. DEPUTY SPEAKER: I will now put Amendments Nos. 2 and 3 to Clause 3, moved by Shri T.R. Shamanna, to the vote of the House.

Amendments Nos. 2 and 3 were put and negatived.

MR. DEPUTY SPEAKER: The guestion is :

'That Clauses 3 and 4 stand part of the Bill "

The motion was adopted

Clauses 3 and 4-were added to the Bill.

CLAUSE 5-APPOINTMENT AND FUNCTIONS OF CONTROLLER

SHRI T.R. SHAMANNA (Bangalore South): Sir, with regard to amendments Nos. 4 and 5 my point is that full control should be there. There are lots of villagers and one controller cannot control the whole thing even though he may have assistants. Therefore, I have suggested a provision may be included. I beg to move:

Page 4-

after line 11 insert -

"Provided that the controller shall work directly under the Department of Agriculture or such other department that the State Government may decide." (4)

Page 4,-

after line 27, insert-

"(6) The Controller may take the assistance of Police, Department of Agriculture, Department of Industry and State Electricity Board for the proper discharge of his duties." (5)

And in some cases it may be necessary the control may be entrusted to the Commissioner or Deputy Commissioner and in some cases some clarification was necessary. I think on this the Government may change the rules to see how the controller operates so that it is more effective.

RAO BIRENDRA SINGH: Sir, the State will provide for the machinery. They will frame rules and all these things will be looked after by the State.

MR. DEPUTY SPEAKER: I shall put amendments Nos. 4 and 5 to the vote.

Amendments Nos. 4 and 5 were put and negatived.

MR. DEPUTY SPEAKER: There are no Amendments to Clauses 6 to 15. Therefore, I will put them together.

MR. DEPUTY SPEAKER: The question is that:

"Clause 5 to 15 stand part of the Bill."

The Motion was adopted

Clauses 5 to 15 were added to the Bill.

RE: NEW CLAUSE 15-A

SHRI T.R. SHAMANNA: Sir, I beg to move:

Page 8-

after line 23 insert-

"15A. The manufacturer and the dealer of dangerous machines shall arrange to give proper training to the workers as to how the machine is to be used and shall also bear expenses for such training. (6)

The Controller may take the assistance of Police Department, Agriculture Depart-

ment, Labour Department, Industries Department, Electricity Department for the proper discharge of the duties. The Controller has to be given very wide power and therefore, it will be very helpful to him. In order to his duty effectively, he should be given more powers by taking the assistance of all the concerned department. With that view I move that this new Clause may be added.

RAO BIRENDRA SINGH: This again will have to be provided by the State. Controller will have various Officers under him and the Department made responsible by the State Government will arrange for all this.

Amendment No. 6 was put and negatived.

MR. DEPUTY SPEAKER: There are no amendments to Clauses 16 to 36. So, I shall put them together to the vote of the House.

The question is:

"That Clauses 16 to 36 stand part of the Bill."

The Motion was adopted

Clauses 16 to 36 were added to the Bill.

CLAUSE 37—POWER OF STATE GOVERNMENTS TO MAKE RUEES

(Amendment made)

Page 14,-

for lines 22 to 22, substitute-

"(a) all matters specified in section 9 except those specified in subsection (2) thereof;" (7)

(RAO BIRENDRA SINGH)

524

MR. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That Clause 37, as amended, stand part of the Bill."

The Motion was adopted.

Clause 37, as Amended, was Added to the Bill.

MR. DEPUTY SPEAKER: There are no Amendments to Clause 38.

The Onestion is:

"That Clause 38 stand part of the Bill."

The Motion was adopted.

Clause 38 added to the Bill

CLAUSE 1- SHORT TITLE EXTENT AND COMMENCEMENT

SHRI T.R. SHAMANNA: Sir, it is a very important Amendment that I have moved. In the Bill we have only dealt with the question of giving compensation and it is very necessary that you must have some training given to those people who manufacture and deal with them.

> "The manufacturer and the dealer of dangerous machines arrange to give proper training to the workers as to how the machine is to be used and shall also bear expenses for such training."

In America, what we call the complete harvester does all the work-lifting, harvesting and then packing and putting into the transport-everything is wholly done by machinery. There is no question of any loss at all there. The only thing is that it is covered by insurance. If proper traning is given, there would not be any loss. Therefore, I say that if a provision is made, making such a training compulsory, it will be good.

BIRENDRA SINGH: The RAO amendment is not acceptable. Training is part of the sale promotion activity of the manufacturers and also their after-sales responsibility. This will be done by the manufacturers themselves. Moreover, these are very simple machines. Not much training is required. Therefore, to provide for such a training in the Act will not be feasible.

MR. DEPUTY SPEAKER: The question is:

Page 1, line 9-

after "States" insert "and Union Territories" (1)

The Motion was negatived.

MR. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That Clause 1, Enacting Formula and the Title stand part of the Bill"

The Motion was adopted.

Clause I, Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

MR. DEPUTY SPEAKER: Now the Minister.

RAO BIRENDRA SINGH: I to move:

> "That the Bill, as amended be passed."

MR. DEPUTY SPEAKER: Motion moved.

> "That the Bill, as a amended, be passed."

श्री रामाववार शास्त्री (पटना) : उपा-ध्यक्ष जी, मैं खतरनाक मशीन (विनियमन)

विधेयक, 1983 का समर्थन करते हुए कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं लेबर मिनिस्टर साहब चले जा रहे हैं. आपके बारे में भी यह है।

एक जो सवाल मैं उठाना चाहता हूं वह यह जो बिल आप लाए हैं, इसमें किसानों के यहां जो खेत-मजदूर बाम करते हैं अगर वे दुर्घटनाग्रस्त होंगे, तो उनके लिए आप व्यवस्था करेंगे, यह बात आपने कही है। मेरा कहना यह हैं कि इस तरह से अलग-अलग कानून बनाने की बजाए यह ज्यादा अच्छा होगा कि जिस प्रकार से हम लोगों ने औद्योगिक मजदूरों के लिए ट्रेड युनियन एक्ट और दूसरे तरह के कानून बना रखे हैं, उसी तरह से पूरे हिन्दुस्तान के खेत मजदूरों वे लिए जो किसानों के घरों मे काम करते हैं, उनके लिए उनके वेतन, काम के घंटे, उनकी सर्विस कंडिशन्स, सेवा की शर्ते क्या होंगी, इन सब बातों को लेते हुए, एक विस्तृत कानून बनाने की आवस्यकता है और ऐसी आवश्यकता है, इसको आप भी मानते हैं। सन् 181. में जब हम लोगों ने इस सवाल की ्ठाया था, तो उस समय के श्रम मंत्री श्री अजेया ने कहा था कि हम जल्दी इस तरह का विधेयक इस सदन ए पेश करने वाले है लेकिन हाढ़े तीन साल गुजर गये और अभी तक इस तरह का कोई भी विघेयक नहीं आया है और हर आदमी मानता है कि इसकी आवश्यकता है। इस तरह का विधेयक लाने से यह होगा कि एक बार ही आप उनके बारे में सारी बातों को समभ कर रखियेगा और इसकी मांग खेत-मजदूर स्वयं कर रहे हैं। अभी 15 जुलाई को भारतीय खेत मजदूर युनियन की तरफ से एक दिन की हड़ताल हुई है, जिसमें सबसे पहली उनकी मांग यही है कि उनके लिए एक कानून बनाया जाए जो कानून पूरे हिन्दुस्तान के पैमाने पर चले । तो मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए और इसका सहारा लेते हुए आप से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए और वह कोई इस तरह का विधेंयक लाकर उनकी स्थिति में और सुधार करने का प्रयास करे।

दूसरी बात जो मेरे दिल में उठ रही है कि बालकों पर, जो कि 14 वर्ष से नीचे के होंगे वे थ्रेशर वगैरहः नहीं चलायेंगे, मयपाबंदी लगायेंगे। लेकिन देहातों में व्ययहार में देखा जाता है कि इससे भी छोटे वच्चे काम करते हैं। किसान के अपने बच्चे होते हैं, वे काम करते हैं। ऐसे बच्चों को रोकने के लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं कि ये वच्चे यह काम न करें?

खेत मजदूर जिनके लिए आप यह कानून बना रहे हैं, उनकी जानकारी में यह चीज आवे इसके लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं? रेडियो पर एक बार प्रसारित कर देने से तो वे इसको समफ नहीं जायेंगे। ग्राप किसानों और मजदूरों को जो थ्रेशर आदि मशीनों पर काम करते हैं और जिनके हाथ और पैर कट जाते हैं उनके लिए जानकारी देने की किस प्रकार से व्यवस्था करना चाहते हैं, इस पर आपको प्रकाश डालना चाहिए।

एक प्रश्न मेरे मन में यह है कि जो किसान स्वयं थ्रेशर आदि मशीनें चलाने का काम करते हैं, ग्रगर उनके हाथ पैर कट जाते हैं तो क्या उनको भी आप वर्कमैन कम्पेन्सेशन एक्ट में कम्पेनसेशन देंगे या नहीं देंगे ?

ये तीन प्रश्न मैंने उठाये हैं — एक 14 साल से नीचे के बच्चों के लिए गारन्टी कैसे होगी, जिनके लिए यह कानून बना रहे हैं उनको जानकारी कैसे होगी और स्वयं किसान के अगर थ्रेशर चलाते हुए हाथ पैर कट जाते हैं तो उनको भी कम्पेनसेशन देने की क्या व्यवस्था होगी ? इन बातों पर आप प्रकाश डाल सकें तो बडी कृपा होगी।

प्रो० प्रजित कुमार मेहता (समस्तीपुर):

मुभे केवल दो बातें कहनी है। एक तो जैसा

कि शमन्ना साहब का संशोधन आया है कि
आप निर्माताओं के लिए यह अनिवार्य क्यों
नहीं कर देते कि जैसे कि किसी इलेक्ट्रिशयन
बगैरहः को लाएसेंस और सार्टीफिकेट दिये जाते
हैं तभी वे काम कर सकते हैं, उसी तरह से
इनके लिए भी यह अनिवार्य हो जाए?
निर्माताओं के लिए आप यह अनिवार्य कर
दीजिए कि वे ट्रेनिंग दें और उसके बाद एक
सार्टीफिकेट दे दें मैं समभता हूं कि इससे थोड़ी

सुविधा हो जाएगी।

दूसरे, इस बिल की क्लाज 22 में आपने कहा है कि अगर कोई शराब पिये रहेगा और उस हालत में दुर्घटना हो जाएगी तो वह कम्पेनसेशन का हकदार नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत से किसान अपने मजदूरों के लिए शराब का प्रबंध करते हैं और शराब पिलाने के बाद उन मजदूरों से काम लेते हैं। वैसी स्थित में आप क्या करेंगे?

किसानों के यहां जो मजदूर है, उन्हीं मजदूरों को किसान सुरक्षात्मक उपाय वाल। सामान हटा देने को कहेगे। इस पर आप वह सकते है कि मजदूर ने अपनी स्वेच्छा से सुरक्षा-तमक उपाय हटा दिये। उसके बाद अगर दुर्घटना हो जाती है तो उस हालत में आप क्या उपाय करेंगे?

कुपया मेरी इन तीनो बातो पर प्रकाश डालें।

श्री वृद्धि चन्द्र जैंन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो डेंजर्स मशीन (रेगुलेशन) विधेयक 1981 प्रस्तुत किया गया है, इसके द्वारायह कानुन जो कि ग्रब तक उद्योगों में लागृथा, अब कृषि के क्षेत्र में भी लागृ किया जा रहा है। इस कानून को अगर मेन्युफेक्चररस के लिए लागु किया जाए तो कोई एतराज नहीं है, डीलर्स के लिए लाग किया जाए तो कोई एतराज नहीं है। परन्तु इसको एम्पलायर्स, यूजर्स और एग्रीकल्चरिस्ट्स के लिए लाग् किया जा रहा है, यह एक बहुत डिफिकल्ट प्रश्न है। एग्रीकल्चरिस्ट अच्छे किस्म के थ्रेशर हासिल कर सके इसके लिए मेन्युफैक्चर और डीलसं को कहना चाहिए। अगर रिसपांसि-बिलिटी यूजर पर और एंप्लायर पर डाली जाएगी तो यह उनके लिए घातक होगी। इस बात पर विशेष जोर दिया जाए कि जो मशीनरी बने वह स्टेडडं की होनी चाहिए। इसके लिए विशेष प्रिकाशंस ली जानी चाहिए।

एक बात ग्रौर है किइसमें ह्रासंट होगा। इस्पेक्टर सिस्टम जहां भी शुरू हो जाता है वहां ह्रासमेंट जरूर होता है। किसानों का ह्रासमेट होगा। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि यह कानून डीलर पर और मेन्युफंकचरर पर लागू किया जाए और स्टेंडर्ड की मशीनरी बनाई जाए। अभी यह स्थिति नहीं है कि एंप्लायर या यूजर के लिए इस कानून को लागू किया जाए। इसलिए एंप्लायर और यूजर के लिए जो प्रावधान किया गया है उसको डिलीट किया जाए। (इति)

श्री मूलचन्द डागा (पाली): उपाध्यक्ष महोदय, क्या इस बिल के बारे में कोई बता सकता है कि मणीन का स्टेंडर्ड क्या होगा। क्लाज 12 में बताया गया है।

> 'Where any firm has been licensed under this Act to manufacture or carry on business as a dealer or

manufacturer of ? dangerous machine, such licence shall, notwithstanding anything contained in this Act, become invalid on and from the date on which there is a change in the partnership of such firm, unless such change in the partnership of the firm have been approved by the Controller.'-

अब वह स्टेंडर्ड मेंशन नहीं किया गया है। सारा बिल पढ़ लीजिए। काम क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, लेबर मिनिस्टर का काम करने लग गए हैं। इनको हरियाणा और पंजाब में मालूम हुआ कि लोगों के हाथ पैर कट रहे है और इन्होंने यह बिल पेश कर दिया। लेबर मिनिस्टर का काम कृषि मंत्री ने कर दिया। जिस बात के ऊपर सारा ला बेस करता है कि मशीनरी का स्टेंडर्ड क्या होगा, उसका इसमें पता ही नहीं है। बेसिक चीज ही नहीं है। 180 दिन उस मशीन को चला सकता है। (ध्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, ग्राप जल्दी मत कीजिए। यह बिल अमेंडमेंड के लिए दुबारा आएगा। (ध्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: We are not doing it in a hurry. That is what I am telling. We have got to conclude it.

लेजिसलेटिव बिजनेस के लिए इतनी जल्दी करना ठीक नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा: 180 दिन मशीन से काम लेगा। अभी मेरे पहले बोलने वाले वक्ता ने बात कही। सवाल यह है कि मेन्युफेक्चरर के लिए लायसेंस रिखए, बेचने वाले डीलर के लिए लायसेंस रिखए। जो मेनुफेक्चरर के यहां से मशीन निकलेगी, डीलर से जो एम्प्लायर के पास जाएगी उन तीनों को कट्टोलर के पास जाने की क्या जरूरत है ? एक बार मशीन की जांच हो जाए, उस पर मोहर लग जाए, वह

स्वीकृत हो जाए उसके बाद जो काश्तकार उसको काम में ले रहा है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको कंट्रोलर के पास जाने की क्या जरूरत है। बार-बार वह कंट्रोलर के पास क्यों जाए? हर आदमी के जीवन को आप दूभर क्यों बना रहे हैं।

ला मिनिस्टर बैठे हुए हैं। अभी वह नया कानून ला रहे हैं। हर बिल सैल्फ क टेंड होना चाहिये। ग्रापने इसमें लिखा है:

For compensation, you refer to the Compensation Act. This is a bad law.

आपके इस कानून को कोई पढ़ेगा तो बहु कहेगा कि यह अधूरा है, कम्पेसेशन के लिए उसको कम्पेसेशन एक्ट को देखना होगा। फार रेफ्रेंस उसको कम्पेसेशन एक्ट भी देखना पड़ेगा। आपको चाहिये था कि आप सैल्फ कंटेंड ना लाते ताकि मालूम होता कि हमें क्या सजा होगा, किस तरह से क्या होगा।

पेज 14 आप ले। इसमें आप कहते हैं:

"Every rule made by the State Government under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of the State Legislature where it consists of two Houses, or where such Legislature consists of one House, before that House.

लेकिन 1952 से लोक सभा की वमेटियां क्या कहती आई है, उस पर आपने घ्यान दिया है। फार्मुला क्या है?

"Every rule and every order made under sub-section shall be laid, as soon as may be after it is made before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be

comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or order or both Houses agree that the rule or order should not be made, the rule or order shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so however, that any, such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule or order."

This is the formula which has been laid down. Every Bill should contain this formula. But I am sorry to say that when new Bills are being introduced, the Law Department do not comply with the new formula. This has been laid down not by one committee but by several committees. Please have this formula in every Bill. You have come with amendments in certain Acts. But again the same thing is repeated. I say kindly accept it now and you can suo motu move your amendment.

MR. DEPUTY SPEAKER: Can I allow you like this in the third reading?

PROF. N.G. RANGA (Guntur): He is making a very important point. The Law Minister is here. Let him listen to him so that he will instruct his own Ministry to look into every Bill.

SHRI MOOL CHAND DAGA: It need not be from this side; it may be from the side of the Hon. Minister who is piloting the Bill; I do not mind it. But if you are hurriedly going through the Bill, you will know what will happen. So, my suggestion is that it should be included.

श्री सत्य नारायण जटिया (उज्जैन): महोदय, खतरनाक मशीन (विनियमन) विधेयक, 1983 के उद्देश्य के

वारे में किसी को विरोध नहीं है। इसका आशय और उद्देश्य अच्छा है, इसकी पूर्ति सरकार करना चाहती है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने इसमें चाइल्ड लेबर का मामला लिया है, अगर लेबर और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री कोई को-आर्डिनेशन की बात करते और यह बिल लेबर मिनिस्ट्री की ओर से जाना चाहिये था, परन्तु आप इस विघेयक को लायें हैं।

मशीन के पैटनं को संशोधित करने की दृष्टि से भी और जिस तरह से लापरवाही बरती जाती है, उसके बारे में नियम बनाकर सुभाव दे दिया हैं परन्तु एक कम्प्रीहैंसिव बिल सरकार लाती नहीं है। मेरा कहना है कि यह जो बिल लाया गया है, इसमें काफी सुघार की गुंजाइश है। अगर इसको पूरा बिल बनाने के लिये आम विभाग से बातचीत कर ली जाती तो अच्छा होता । श्रम विभाग ने जो कानुन बनाया है, उनका पूरा पालन नहीं किया जाता ।

कम्पेन्सेशन दिलाने की दृष्टि से जो एजेंसी बनाई गई है, वह पर्याप्त नहीं है। इसलिये इस बात की जरूरत है कि लेबर मिनिस्ट्री को श्रीर अधिक अधिकार दिये जायें और इस बिल को अच्छा और पुरा बनाने का प्रयास किया जाये।

राव वीरेन्द्र सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो बातें कही हैं, मैं उनका मुख्तसर जवाब देना चाहता हं। शास्त्री जी ने तो इस छोटे से बिल का सहारा लेकर एक बहुत बड़े बिल की मांग की और उसका जवाब भी खुद ही दे दिया। उन्हें शक है कि उम्र वाले मामले की कैसे देख-भाल होगी। शास्त्री जी जानते हैं कि लाखों की तादाद में अनस्किल्ड लेबर गांव-गांव में काम करते हैं। इसलिए उनके लिए कोई भी कानून लागू करना आसान

नहीं है। एग्रीकल्चर लेबर को किस हद तक कानून से बांघा जा सकता है, यह सोचने की बात है।

यह बिल इसलिए बनाया गया है कि अगर किसी वर्कर या मजदूर को कोई चोट लगती है, उसका कोई श्रंग कट जाता है, तो वर्कमैंन्स कम्पेन्सेशन एक्ट के तहत इंडस्ट्रियल लेबर की तरह से उसे भी कम्पेन्सेशन मिल सके। हमने यह पाबन्दी एम्प्लायर्ज और यूजर्ज पर लगाई है। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि किसान के अपने कुनबे के किसी आदमी को चोट लगती है, तो हर एक श्रादमी एक्सिडेंट का इंशोरेंस अलग लें सकता है। इस बिल में सिर्फ वर्कज की खातिर पाबन्दी लगाई गई है।

श्री मेहता ने ट्रेनिंग की बात कही है। लाखों की तादाद में लोग जगह-जगह काम करते हैं। कोई आदमी एक दिन खेत में काम करता है, दूसरे दिन सड़क पर काम करता है और तीसरे दिन किसी फैक्टरी में काम करता है। अगर माननीय सदस्य चाहते हैं कि सारे आदमी पहले थ्रेशर पर काम करने के लिए ट्रेनिंग लें, कोई डिप्लोमा ग्रीर लाइसेन्स हासिल करें, और तब काम करें, तो मजदूरों के हक की बात नहीं कर रहे है। इसका मतलब यह है कि जब तक मजदूर अपने गांव से जाकर किसी मेन्युफेक्चरर से ट्रेनिंग लेकर सार्टीफिकेट न ले आए, तब तक बह बेचारा खेत में मजदूरी हासिल नहीं कर सकता। माननीय सदस्य ने यह कौन सी मजदूरों के हित की बात सोची है ? यह बात इस बिल मे नहीं लाई जा सकती।

श्री डागा खुद वकील है। उन्होंने कहा है कि हर बिल पूरी तरह से सेल्फ सफिशेंट होन। चाहिए। इस बिल में वर्कमेन्ज कम्पेन्सेशन एक्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या इस तरह के विलों के लिए आई०पी०सी० और सी०आर०पी०सी० भी नया रखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम प्रासीक्यूट करगे, किस तरह सजा दी जाएगी, किस तरह अदालतें काम करेंगी। इस देश ने जो कानुन बनाए हुए हैं, उनके सहारे नए कानून चलते हैं। थ्रेशर पर काम करने वालों की हिफाजत के लिए यह जो छोटा सा कानुन बनाया जा रहा है, क्या उसके लिए भी नया कांड तैयार किया जाएगा? यह कभी नहीं हो सकता। ऐसा मालूम होता है कि माननीय सदस्य ने कुछ कहना था, इसलिए उन्होंने कह दिया।

जहां तक शराब का ताल्लुक है, अगर कोई आदमी मोटर का बीमा कराता है और अपना भी कराता है और वह शराब पी कर टक्कर मार देता है, तो क्या उसकी जिम्मेदारी इन्शोरेंस कंपनी लेगी या उस ड्राइवर का एम्प्लायर लेगा ? इसके दुरुपयोग होने का कोई खतरा नहीं है। इसमें वर्क जं को सावधान रहना पड़ेगा और यह ज्यादा खतरे का काम भी नहीं है।

श्री जैन ने मेनुफेक्चर पर पावन्दी लगाने की बात कही है। असल में यह पाबन्दी भेनुफेतचरर के लिए ही हैं। जब मशीनें ठीक-ठी बनेंगी, तो किसानों के हैरासमेंट की गुंजाइक नहीं रहेगी।

श्री डागा ने पूछा है कि मशीनों के स्टेंडर्ड क्या होंगे। वह अच्छी तरह जानते हैं कि कानून में स्टेंडर्ड नहीं रखे जाते। इंडियन स्टेंडर्ड ज इंस्टीट्यूशन इस किस्म के स्टेंडर्ड कायम करता है। उन्होंने 1979 में ही थ्रेशर के लिए तीन स्टेंडर्ड इस्यु कर दिये थे। एसेंशल कामोडिट्रीज एक्ट के तहत इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कराया कि उनका

मेनुफेक्चरर उस स्टेंडर्ड के मुताबिक होना चाहिए, वरना सजा मिलेगी। इससे आगे भी जो और नये स्टेंडर्ड बनाए जाएंगे, मेनुफेक्चरर्ज उनके मुताबिक मशीनें तैयार करेंगे।

यह भी कहा गया है कि यूजर और एम्प्लायर पर पाबन्दी क्यों हो। छोटी-छोटी मशीनों को बनाने वाले छोटे नये मेन्युफेनचरजं खडे हो सकते हैं और वगैर लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के मशीनें बना सकते हैं। यह पाबन्दी इसलिए लगाई गई है कि किसान सब-स्टेंडर्ड और सस्ती मशीनों का ईस्तेमाल न करें। ईसके लिए पाबन्दी लगाई गई है कि उस मशीन का ईन्सपेक्शन हो सकता है, उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, सार्टीफिकेट लेना पडेगा, जिस तरह कि मेनूफेक्चरर सार्टीफिकेट देगा कि उसने मशीन स्टेडर्ड के मुताबिक वनाई है और वह उसकी सेफटी का जिम्मेदार है। यह देखा जायेगा कि मेनुफेक्चरर लाईसेन्स्ड है या नहीं और उसका सार्टी फिकेट ठीक है या नहीं युजर और एम्प्लायर पर भी कुछ जिम्मे-दारी डालनी होगी, ताकि कोई घर बैठकर अपनी मशीन न बना ले, जो कि खतरनाक हो।

श्री डागा ने एक बड़ी समक्त की बात कही है कि पालियामेंट में बिल के जो कायदे रखे जाते है, उनके लिए एक पीरियड होता है। मकसद तो हमारा यही है। लेकिन अगर ड्राफ्टिंग में थोड़ी कभी रह गई है, तो ला मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, उनके नोटिस में यह बात आ गई है और वह ड्राफ्टिंग की कभी को पूरा कर देंगे। ईसमें कोई विक्कत की बात नहीं है।

मैं उम्मीद करता हूं कि आनरेबल मैंग्बर्ज के सारे शको-शुवहात दूर हो गए होंगे और अब इस बिल को पास किया जाएगा। MR. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.

19.40 hrs.

DELEGATED LEGISLATION
PROVISIONS (AMENDMENT) BILL.

MR. DEPUTY SPEAKER: We go to the next item. We have agreed to pass two very very small bills. So, I seek your co-operation.

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI JAGAN NATH KAUSHAL): I beg to move:

"That the Bill to amend certain Acts to implement the recommendations of the Committees on Subordinate Legislation regarding publication and laying of rules and other delegated legislation, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration"

Hon. Members are fully aware of the recommendations of the Committees of the Houses on Subordinate Legislation with regard to provisions providing for delegated legislation. A number of Acts passed by parliament in the past which provide for the making of rules, regulations and forms of subordinate legislation do not comply with these recommendations. Either they do not contain a provision for the laying of such rules, regulations or other forms of subordinate legislation before the Houses of Parliament or they do not expressly provide for the publication of the same or contain provisions for laying on lines which are defferent from the latest formula on the subject as approved by the Committee on